


आदेश

शासनादेश संख्या 341/XVIII-(2)/10-12(17)/2007 दिनांक 09 जून, 2010 एवं शासनादेश संख्या 891/XVIII-(2)/10-12(17)/2007 दिनांक 21 सितम्बर, 2010 के द्वारा 7.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटन प्राप्त होने के पश्चात विभागों से प्राप्त परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत हेतु प्राप्त आगणनों को तकनीकी लेखा समिति की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
(धनराशि लाख रू० में)

क्र. सं.	योजना का नाम	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	नाली सरोना हल्का वाहन मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का पुर्ननिर्माण कार्य	प्रा.ख.लो.नि.वि. देहरादून	6.00
2	धम्बा-मसूरी मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत	उपरोक्त	8.00
3	गोथरोवाला दौडवाला 'रिस्पना नदी पुर के पास क्षतिग्रस्त पुरता निर्माण	ग्रा.अग्नि.से.वि. देहरादून	13.53
4	पी.डी.टडन मार्ग में आलोक सिंघल के घर से डा० आशुतोष माथुर के क्लीनिक तक सी.सी.रोड का पुर्ननिर्माण कार्य	ग्रा.अग्नि.से.वि. देहरादून	10.22
5	शिरकी गिल्का गांव में क्षतिग्रस्त रोड का पुर्ननिर्माण कार्य	अस्थाई खण्ड, लो. नि.वि.अधिकेश	0.96
6	अमन विहार लेन न०2 क्षतिग्रस्त सडक का पुर्ननिर्माण कार्य	उपरोक्त	0.60
7	वलेमनटाउन में इन्द्रापुरी फार्म में खीमा नन्द के घर से श्री दीपक थापा के घर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत	प्रवा कृत निर्माण खण्ड लो.नि.वि.देहरादून	0.54
8	प्राग निथला में सडक के पास दीवार मरम्मत योग्य	पी.डी.ओ.कालसी	1.10
			40.95

शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि अनुदान संख्या 06 लेखा शीर्षक 2245 - प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय आयेजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधित योजनाये-0101 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42 अन्य व्यय के नाम से 40.95 लाख रुपये (केवल वालीस लाख पैदानवे हजार रू०) को कोषागार से आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


6/10/10
जिलाधिकारी
देहरादून।


कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या /सी०आर०ए०-10

दिनांक अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
- 2- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।


6/10/10
जिलाधिकारी
देहरादून।